(120)

संख्या यू.ओ. 45/XVIII(II)/2012

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 1–6–,2012

विषयः–न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड), धारी, जिला नैनीताल के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 0.600 है0 भूमि न्याय विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–1230/12–ज्येड0ए0सी0/2010–11 दिनांक–05.05.2011 जो महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल को सम्बोधित एवं सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन को पृष्ठांकित है, के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड), धारी, जिला नैनीताल के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु आपके द्वारा संस्तुत/अनुमोदित खतौनी खाता संख्या–02 खेत संख्या–880, 881, 882, 883, क्षेत्रफल 0.144 है0, खतौनी खाता संख्या–92 बंजर खेत संख्या–347 क्षेत्रफल 0.056 है0 तथा खेत संख्या–884 क्षेत्रफल 0.400 है0 अर्थात कुल 0.600 है0 भूमि, वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15–02–02 में निहित प्राविधानों एवं न्याय विभाग उत्तराखण्ड शासन के अनुरोध/सहमति के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नही की जायेगी।

6– हस्तांतरित की जाने वाली भूमि का कुछ भाग "महकमा जिला बोर्ड" के नाम दर्ज होने के कारण इस सम्बन्ध में याचक विभाग द्वारा जिला पंचायत से भी अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।

7– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

8– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0संख्या– U-0-45/ समदिनांकित / 2012

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय देहरादून। ✓
5– प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)